न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 06, मथुरा।

उपस्थित–**श्रीमती नीलम ढाका** (एच०जे०एस०)

UPMT010156752017

सिविल अपील संख्या–161/2017
मूलवाद संख्या–626/2002

1. सुन्दर लाल पुत्र रामरतन, उम्र करीब 70 वर्ष (मृतक)
1/1. श्री राम
1/2. ओमप्रकाश — पुत्रगण–स्व० सुन्दरलाल
1/3. राजकुमार बघेल
2. भजन लाल
3. निरतन — पुत्रगण रामरतन
4. गोपाल
5. किशोरी श्याम
6. श्रीमती भौती मृतक पत्नी रामशरन
निवासीगण–ग्राम राजपुर तहसील व जिला मथुरा।

... ...अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. अहमद अली अब्बासी पुत्र लीला खाँ (मृतक०
2. मुसब्बर पुत्र अब्दुल्ला (मृतक)
3. तोती पुत्र घूरे (मृतक)
निवासीगण–ग्राम राजपुर तहसील व जिला मथुरा।
4. मुस्तफा आलम पुत्र श्री रमजानी, निवासी–राधा निवास, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा।
5. नसीरुद्दीन मुल्लाजी पुत्र जहूरी, निवासी–किशोरपुरा, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा।
6. इकबाल ठेकेदार पुत्र छोटे खाँ, निवासी–राधा निवास, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा।

... ...रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण

निर्णय

प्रस्तुत सिविल अपील अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा मूलवाद संख्या–626/2002 सुन्दर लाल आदि बनाम अहमद अली अब्बासी आदि में न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), कक्ष सं०–7, मथुरा द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांकित–21.10.2017 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद एकपक्षीय रूप से खारिज कर दिया गया है।

2. अपीलार्थीगण/वादीगण का अपील में संक्षेप कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य को आदेश पारित करते समय नहीं देखा है और गलत प्रकार से प्रश्नगत आदेश कानून के विरुद्ध पारित किया है। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायायल ने प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त अभिवचनों के आधार पर वाद बिन्दु दिनांक 21.04.2015 को

Digitally signed by Neelam Dhaka
Date: 2026.04.10 16:53:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विरचित किये। अपीलकर्ता/वादीगण द्वारा अपना अभिलेखीय साक्ष्य वादपत्र के कथन के समर्थन में विचारण न्यायालय में दाखिल किये तथा अपीलकर्ता/वादीगण द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य से वाद पत्र में अंकित कथन व अभिलेखीय साक्ष्य को पूर्ण रुप से सिद्ध किया। विपक्षी/प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के कथन के समर्थन में पत्रावली पर अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया और न मौखिक साक्ष्य न्यायालय में दाखिल किया। अपीलकर्ता/वादीगण के गवाहान से विपक्षी/प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह(Cross) भी नहीं की। इससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी /प्रतिवादीगण द्वारा अपीलकर्ता/वादीगण के मौखिक साक्ष्य का खण्डन नहीं किया। इसलिए अपीलकर्ता/वादीगण के साक्ष्य पर विचारण न्यायालय को विश्वास करना चाहिए था, क्योंकि अपीलकर्ता/वादीगण के साक्ष्य को विपक्षी/प्रतिवादीगण द्वारा किसी अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य से खण्डित नहीं किया है। इस कारण अपीलकर्ता/वादीगण का साक्ष्य अखण्डनीय है और विश्वास योग्य है। विचारण न्यायालय ने अभिवचन के आधार पर जो वाद बिन्दु विचरित किये थे, उन सभी वाद बिन्दुओं का निस्तारण विचारण न्यायालय ने अपने प्रश्नगत आदेश में नहीं किया है। इस कारण विचारण न्यायालय का आदेश कानून के विरुद्ध है और उक्त आदेश निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में वाद बिन्दु सं० 1,4,5,6,7,8 और 9 का निस्तारण एक साथ करना अंकित किया है, परन्तु प्रश्नगत आदेश में उक्त वाद बिन्दु किस पक्षकार के पक्ष में निर्णीत किये गये इसका कोई भी उल्लेख प्रश्नगत आदेश में नहीं है। अपीलकर्ता/वादीगण ने अभिलेखीय साक्ष्य से यह सिद्ध किया है कि पुराने गाटा सं० 856 व 857 में चकबन्दी विभाग द्वारा कब्रिस्तान कायम नहीं किया और न कब्रिस्तान के लिए अपीलकर्ता/वादीगण के नम्बरान को दौरान चकबन्दी सुरक्षित किया गया। अपीलकर्ता/वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में आकार पत्र 2 क, खसरा नं० 856 व 857 का न्यायालय में दाखिल किया, परन्तु विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध आकार पत्र 2 क का अवलोकन नहीं किया, बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के विरुद्ध आदेश पारित किया है। अपीलकर्ता/वादीगण द्वारा पत्रावली पर जोत चकबन्दी आकार पत्र 2 क की प्रमाण प्रति दाखिल की है, जिसमें क्रम सं० 5 पर स्पष्ट रुप से कब्रिस्तान के लिए मुस्लमानों की संख्या ध्यान में रखते हुए कब्रिस्तान के विस्तार हेतु गाटा सं० 859/3, रकवा 1 एकड़ दौरान चकबन्दी सुरक्षित रखा गया, जिसका इन्द्राज जोत चकबन्दी आकार पत्र 21 पर दौरान चकबन्दी किया गया। परन्तु विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय जोत चकबन्दी आकार पत्र 21 का अवलोकन नहीं किया। जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 में गलत प्रकार से अपीलकर्ता/वादीगण के पुराने खसरा नं० 857 मि० जो अपीलकर्ता/वादीगण का खसरा नम्बर था, जिसका नया खसरा नं० 564 बना, में बिना किसी आदेश के विशेष विवरण के कॉलम में कब्रिस्तान अंकित कर दिया। जबकि खसरा नं० 857 की भूमि को कब्रिस्तान के लिए सुरक्षित चकबन्दी दौरान नहीं किया। पुराना गाटा सं० 857 मि०, रकवा 0.20 एकड़ जिसका नया खसरा नं० 564 बना है। मौके पर कब्रिस्तान नहीं है और न ही कोई कब्र बनी है, बल्कि उक्त खसरा नम्बर वादीगण की संक्रमणीय भूमिधरी का नम्बर है। जिस पर अपीलकर्ता/वादीगण काबिज व दखील हैं। दीवानी अमीन महोदय विचारण न्यायालय के आदेश से मौके पर निरीक्षण के लिए गये और उनके द्वारा मौके का निरीक्षण पक्षकारों की उपस्थिति में किया और मौके का नक्शा बनाया। दीवानी अमीन साहब द्वारा मौके की रिपोर्ट कागज सं० 19ग/1 और 19ग/2 तैयार करके विचारण न्यायालय में दाखिल की। अमीन साहब को मौके पर न तो कोई कब्र मिली और न कब्रिस्तान मिला। बल्कि मौके पर अपीलकर्ता /वादीगण का कब्जा मिला और अपीलकर्ता/वादीगण का कमरा, झौपड़ी, ईंधन रखा मिला और चार दीवारी पक्की मौके पर मिली। जिसके विरुद्ध विपक्षी/प्रतिवादीगण की कोई आपत्ति नहीं है। इस बिन्दु को भी विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में अंकित नहीं किया है और न निर्णय के समय ध्यान रखा है। विचारण न्यायालय ने अभिवचन के विपरीत नया केस बनाकर अपना निर्णय कानून के विरुद्ध पारित किया है। विचारण न्यायालय का आदेश स्वयं में विरोधाभासी है। विचारण

न्यायालय का आदेश सी०पी०सी० में अंकित प्राविधानों के विपरीत है और विचारण न्यायालय का आदेश निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। विपक्षी प्रतिवादी मुसब्बर का स्वर्गवास हो गया है, उसके द्वारा प्रतिवाद पत्र मूलवाद में दाखिल नहीं किया था। दौरान अपील अपीलकर्ता सं० 1 की स्वर्गवास दिनांक 10.11.2021 को हो गया है। मृतक सुन्दरलाल की पत्नि की मृत्यु मृतक सुन्दरलाल के जीवनकाल में हो गयी थी। मृतक सुन्दरलाल के तीन पुत्र हैं, जो मृतक सुन्दरलाल की चल–अचल संपत्ति पर काबिज व दखील हैं, जिनको अपीलकर्ता सं० 1/1 लगायत 1/3 कायम किया गया है, इनके अलावा मृतक सुन्दरलाल का अन्य कोई कानूनी वारिस नहीं है। अतः अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांकित–27.10.2017 व डिक्री को निरस्त किये जाने एवं वादीगण/अपीलार्थीगण का दावा मय खर्चा डिक्री किये जाने की याचना की है।

3. अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अपील की पत्रावली में अपीलार्थी/वादीगण की ओर से सूची 5ग से कागज सं०–6ग/2 ता 4 प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 27.10.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि व कागज सं० 7ग/2 से डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की गयी है।

4. अपील अंगीकृत एवं पंजीकृत की गयी। प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण को नोटिस जारी की गयी। प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण न्यायालय उपस्थित आये। अपील के निस्तारण के प्रयोजन से न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), न्यायालय सं०–07, मथुरा से तलबशुदा मूल पत्रावली मूलवाद संख्या 626/2002 सुन्दर लाल आदि बनाम अहमद अली अब्बासी आदि को आहुत किया गया, जिसका अवलोकन किया।

5. मूलवाद संख्या 626/2002 में वादीगण की ओर से वादपत्र में कथन किया गया है कि सम्पत्ति जिसका सम्पूर्ण विवरण वादपत्र के अंत में दिया गया है के स्वामी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी सं० 3 है तथा वादी काबिज व दखील हैं। गाता संख्या 856/.58, 857/4.00 कुल 4.58 एकड़ आराजी स्थित ग्राम राजपुर बांगर तहसील व जिला मथुरा को वादी संख्या 1 ता 5 के पिता एवं वादी सं० 6 के पति रामशरन ने प्रतिवादी तरतीवी तोती के साथ उक्त नम्बरान के पूर्व मालिक से दिनांक 25.07.1957 में क्रय किया था। क्रय करने के बाद रामशरन व तोती का नाम दाखिल खारिज हो गया। चकबंदी प्रक्रिया में मौके पर उक्त नम्बरान की पड़ताल हुई, जिसमें वादी 1 ता 5 के पिता वादी 6 के पति रामशरन एवं तरतीवी प्रतिवादी तोती का कब्जा मिला। चकबंदी दरमियान मुस्लिम आबादी को देखते हुए गाटा संख्या 859/3 रकबा 1.00 एकड़ कब्रिस्तान के लिये सुरक्षित रखा गया, जो पूर्व में भी कब्रिस्तान की जगह थी। उक्त आबादी में वादीगण का कब्जा है तथा अपने रहने व पशु बांधने आदि के प्रयोग में ला रहे हैं, परन्तु रामशरन के स्वर्गवास के बाद गांव के अल्पसंख्यक लोग वादीगण की भूमि को कब्रिस्तान बताकर कब्जा करने की फिराक में हैं। राजस्व अभिलेखों में गलत प्रकार से वादीगण की आबादी को कब्रिस्तान अंकित कर दिया है, जिसका नवीन गाटा संख्या 564 बनाया गया है। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत वाद वास्ते स्वामी व्यादेश हेतु योजित किया गया है।

6. प्रतिवादी संख्या 4 ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादपत्र के कथनों से इंकार किया तथा विशेष कथन में अभिकथित किया है कि वादीगण को कोई वाद कारण पैदा नहीं है। वादीगण का यह कथन गलत है कि वह प्रश्नगत संपत्ति के मालिक व काबिज है तथा उस पर उनका निर्माण हो रहा है। यह सही है कि चकबंदी में गाटा संख्या 859/3 को कब्रिस्तान के विस्तार के लिए छोड़ा गया तथा प्रश्नगत संपत्ति कब्रिस्तान के लिये छोड़ी गयी। वादीगण का यह कथन गलत है कि राजस्व अभिलेखों को गलत प्रकार से उनकी सम्पत्ति को कब्रिस्तान की संपत्ति अंकित कर दिया गया है। वादीगण का वाद धारा 49 चकबंदी अधिनियम से बाधित है। वादीगण का वाद काल बाधित है। इस प्रकार वादीगण का वाद खण्डित होने योग्य है।

7. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक

21.04.2015 को निम्नांकित वाद बिंदु विरचित किये गए–

1. क्या वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 वादपत्र में वर्णित विवादित भूमि के मालिक काबिज व अधिसानवान हैं?
2. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
3. क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
4. क्या दावा वादी में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?
5. क्या दावा वादी धारा 49 चकबंदी अधिनियम के प्रावधानों में बाधित है?
6. क्या दावा वादी में अवधि की बाधा है?
7. क्या दावा वादी धारा 331 जमींदारी विनाश अधिनियम से बाधित है?
8. क्या दावा वादी धारा 34, 38 व 41 SRA के प्रावधानों में बाधित है?
9. वादी किस अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

8. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वादीपक्ष ने सूची 10ग अभिलेख से 5 अभिलेख तथा सूची 6ग से 2 अभिलेख तथा सूची 31ग से 5 अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध कागजात है। मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पी०डब्लू० 1 सुन्दरलाल का शपथपत्र 62क प्रस्तुत हुआ है।

9. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद की कार्यवाही दिनांक–21.02.2017 को प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति के कारण एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

10. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व तिथि पर सुना गया तथा मूल पत्रावली एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय/आदेश दिनांकित–21.10.2017 का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुनने व अपील में उठाये गये प्रश्न तथा आहूत मूल पत्रावली मूल वाद संख्या 626/2002 सुन्दरलाल आदि बनाम अहमद अली अब्बासी आदि में प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपील के निस्तारण के प्रयोजन से निम्नलिखित निर्धारण बिन्दु विरचित किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैः–

(1) अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये तथ्यों के अनुक्रम से उपरोक्त वाद संख्या 626/2002 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मूल वाद में प्रस्तुत अभिवचन व साक्ष्यों को अनदेखा कर साक्ष्यों व तथ्यों के अविधिक निर्वचन के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जिसके आधार पर उपरोक्त वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 27.10.2017 खण्डित किये जाने योग्य है ?

(2) क्या अपीलार्थीगण/वादीगण मूलवाद संख्या 626/2002 सुन्दरलाल आदि बनाम अहमद अली अब्बासी आदि, न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), कक्ष सं० 7 मथुरा में वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण /प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा व्यादेश का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

<u>निस्तारण विचारणीय बिंदु सं० 1–</u>

12. विचारणीय बिंदु सं० 1 इस रूप में विरचित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये तथ्यों के अनुक्रम से उपरोक्त वाद संख्या 626/2002 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मूल वाद में प्रस्तुत अभिवचन व साक्ष्यों को अनदेखा कर साक्ष्यों व तथ्यों के अविधिक निर्वचन के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जिसके आधार पर उपरोक्त वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 27.10.2017 खण्डित किये जाने योग्य है।

13. उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपने वादपत्र में कथन किया है कि वाद पत्र के अंत में वर्णित प्रश्नगत सम्पत्ति के स्वामी अपीलार्थीगण/वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी सं० 3 है, जिसपर वह काबिज व दखील हैं। गाटा संख्या 856/.58, 857/4.00 कुल 4.58 एकड़ आराजी स्थित ग्राम राजपुर बांगर तहसील व जिला मथुरा को वादीगण/अपीलार्थीगण के पति ने प्रतिवादी/तरतीवी तोती के साथ उक्त नम्बरान के पूर्व मालिक से दिनांक 25.07.1957 में

क्रय किया था। क्रय करने के बाद रामशरन व तोती का नाम दाखिल खारिज हो गया। चकबंदी प्रक्रिया में मौके पर उक्त नम्बरान की पड़ताल हुई, जिसमें वादीगण/अपीलार्थीगण के पति रामशरन एवं तरतीवी प्रतिवादी तोती का कब्जा मिला। यह भी कथन किया गया है कि चकबंदी दरमियान मुस्लिम आबादी को देखते हुए गाटा संख्या 859/3 रकबा 1.00 एकड़ कब्रिस्तान के लिये सुरक्षित रखा गया। उक्त आबादी में वादीगण /अपीलार्थीगण का कब्जा है, परन्तु रामशरन के स्वर्गवास के बाद गांव के अल्पसंख्यक लोग वादीगण की भूमि को कब्रिस्तान बताकर कब्जा करने की फिराक में हैं। राजस्व अभिलेखों में गलत प्रकार से वादीगण/अपीलार्थीगण की आबादी को कब्रिस्तान अंकित कर दिया है, जिसका नवीन गाटा संख्या 564 बनाया गया है का कथन करते हुए, प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद योजित किया गया।

14. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी /प्रत्यर्थी सं० 4 प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते हुए, वादपत्र के कथनों का खण्डन किया गया और प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि वादीगण/अपीलार्थीगण प्रश्नगत सम्पत्ति के मालिक व काबिज नहीं है, न ही उनका निर्माण हो रहा है। यह भी कहा है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा राजस्व अभिलेखों को गलत प्रकार से उनकी सम्पत्ति को कब्रिस्तान की संपत्ति अंकित कर दिया गया है। वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद धारा 49 चकबंदी अधिनियम से बाधित है और वाद को खण्डित किये जाने की याचना की है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को एकपक्षीय रूप से सुनने के पश्चात एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया।

15. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता/वादीगण द्वारा अपना अभिलेखीय साक्ष्य वादपत्र के कथन के समर्थन में विचारण न्यायालय में अपने मौखिक साक्ष्य से वाद पत्र में अंकित कथन व अभिलेखीय साक्ष्य को पूर्ण रुप से सिद्ध किया। विपक्षी/प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के कथन के समर्थन में पत्रावली पर अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया और न मौखिक साक्ष्य न्यायालय में दाखिल किया, विचारण न्यायालय द्वारा विपक्षी/प्रतिवादीगण द्वारा अपीलकर्ता/वादीगण के मौखिक साक्ष्य का खण्डन नहीं किया। यह भी तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत वाद में वादबिन्दु विचरित किये थे, जिनका निस्तारण प्रश्नगत आदेश में नहीं किया है, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में वाद बिन्दु सं० 1,4,5,6,7,8 और 9 का निस्तारण एक साथ करना अंकित किया है, परन्तु प्रश्नगत आदेश में उक्त वाद बिन्दु किस पक्षकार के पक्ष में निर्णीत किये गये इसका कोई भी उल्लेख प्रश्नगत आदेश में नहीं है, जिसके आधार पर प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने की याचना की है।

16. अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से विचारण न्यायालय की पत्रावली पर अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 10ग से एक किता असल बैनामा दिनांक–25.07.1957, नकल खतौनी जोतवही 1377 फसली, आकारपत्र 2क ग्राम राजपुर वांगर तहसील व जिला मथुरा, आकार पत्र 21 ग्राम राजपुरनागर तहसील व जिला मथुरा, सूची 6ग से दो किता एवं सूची 31 ग से असल प्रमाण पत्र उर्दू मय नकल हिन्दी तर्जुमा उर्दू दिनांक –19.02.96, असल खतौनी 28.02.96, पत्र की प्रति 01.06.2002 व 22.06.2002 दाखिल किये गये है।

17. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलकर्ता/वादीगण ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में आकार पत्र 2क दाखिल किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आकार पत्र में पुराने गाटा सं० 856 व 857 में चकबन्दी विभाग द्वारा कब्रिस्तान कायम नहीं किया गया है और न कब्रिस्तान के लिए अपीलकर्ता/वादीगण के नम्बरान को दौरान चकबन्दी सुरक्षित किया गया, जिसका विचारण न्यायालय द्वारा कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर जोत चकबन्दी आकार पत्र 2क के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आकार पत्र 2क के क्रम सं० 5 पर स्पष्ट रुप से कब्रिस्तान

के लिए मुस्लमानों की संख्या ध्यान में रखते हुए कब्रिस्तान के विस्तार हेतु गाटा सं० 859/3, रकवा 1 एकड़ दौरान चकबन्दी सुरक्षित रखा गया है, जिसका इन्द्राज जोत चकबन्दी आकार पत्र 21 पर दौरान चकबन्दी किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है।

18. पत्रावली पर उपलब्ध जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 को देखा जो तो उसमें अपीलकर्ता/वादीगण के पुराने खसरा नं० 857 मि० का नया खसरा नं० 564 मि० होना दर्शित है, जिसके विशेष विवरण के कॉलम में कब्रिस्तान अंकित किया जाना भी दर्शित है, जबकि अपीलकर्ता/वादीगण का पूराना खसरा नं० 857 मि० था, जबकि खसरा नं० 857 की भूमि को कब्रिस्तान के लिए सुरक्षित चकबन्दी के दौरान होना अंकित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुराना गाटा सं० 857 मि०, रकवा 0.20 एकड़ जिसका नया खसरा नं० 564 बना है पर मौके पर कब्रिस्तान व कब्र बनी होने का इन्द्राज नहीं है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उक्त खसरा नम्बर वादीगण/अपीलार्थीगण की संक्रमणीय भूमिधरी का नम्बर है, जिस पर अपीलकर्ता/वादीगण काबिज व दखील हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में अमीन द्वारा मौके का निरीक्षण पक्षकारों की उपस्थिति में किया और मौके का नक्शा बनाया, जिसकी रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं० 19ग/1 ता 2 के रूप में संलग्न है, जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि उक्त प्रश्नगत सम्पत्ति पर न तो कोई कब्र मिली और न कब्रिस्तान मिला, बल्कि मौके पर अपीलकर्तागण/वादीगण का कब्जा मिला, जहां पर कमरा, झौपड़ी, ईंधन रखा मिला और चार दीवारी पक्की मौके पर मिली, जिसके विरुद्ध विपक्षी/प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं किया जाना कहा है। अमीन द्वारा अपनी आख्या के अनुक्रम में नक्शा बनाया गया है, जिसको अक्षर अ,ब,स,द के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रश्नगत सम्पत्ति पर अपीलार्थीगण /वादीगण का कब्जा होना दर्शित है उक्त प्रश्नगत सम्पत्ति पर कोई कब्रिस्तानव कब्र बना होना नहीं दर्शाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रश्नगत सम्पत्ति पर पूर्व से ही अपीलार्थीगण /वादीगण का कब्जा रहा है, जिसको चकबंदी प्रक्रिया के दौरान नया खसरा नम्बर दर्शाकर कब्रिस्तान अंकित किया गया है, जिस पर भी विचारण न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

19. इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों के अवलोकन तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र के अंत में वर्णित प्रश्नगत सम्पत्ति स्थित ग्राम राजपुर बांगर तहसील व जिला मथुरा खसरा नं० 564 रकवा 20 डि० जिसकी सीमाये पूर्व खेत तोती प्रतिवादी तरतीवी सं० 3, पश्चिम रास्ता, उत्तर भूमि वादीगण व दक्षिण आराजी पर वादीगण/अपीलार्थीगण का काबिज होना दर्शित है, जिसको अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य से साबित किया गया है, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर निर्धारण वाद बिन्दु संख्या 1 अपीलार्थीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>निस्तारण निर्धारण बिन्दु संख्या 2–</u>

20. निर्धारण बिन्दु संख्या 2 इस रूप में विरचित किया गया है कि क्या अपीलार्थीगण/वादीगण मूलवाद संख्या 626/2002 सुन्दरलाल आदि बनाम अहमद अली अब्बासी आदि, न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), कक्ष सं० 7 मथुरा में वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा व्यादेश का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

21. संलग्नक मूल पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज तथा निर्धारण बिन्दु संख्या 1 में प्रकट तथ्यों के अनुक्रम से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थीगण /वादीगण पुराना गाटा सं० 857 मि०, रकवा 0.20 एकड़ जिसका नया खसरा नं० 564 बना है पर मौके पर कब्रिस्तान व कब्र बनी होना नहीं पायी गयी है तथा उक्त खसरा नम्बर पर वादीगण/अपीलार्थीगण का संक्रमणीय भूमिधरी का नम्बर अंकित होना दर्शित है, जिस पर

अपीलकर्तागण/वादीगण काबिज व दखील हैं। उक्त बिन्दु पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किये बिना तथा विचारण न्यायालय के समक्ष विरचित विधिक बिन्दुओं पर सम्यक अभिमत व्यक्त किये बिना पारित एक पक्षीय निर्णय दिनांक 27.10.2017 व उक्त तथ्यों के आधार पर तैयार डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। जिसके आधार पर निर्धारण बिन्दु संख्या 2 अपीलार्थीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप में निर्णीत किये जाने योग्य है।

22. अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपीलार्थीगण/वादीगण के विरूद्ध मूलवाद संख्या 626/2002 सुन्दरलाल आदि बनाम अहमद अली अब्बासी आदि में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय दिनांक 27.10.2017 तथा तैयार डिक्री दिनांकित 09.11.2017 अपीलार्थीगण द्वारा अपील में उठाये गये तथ्यों को प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध साबित करने के आधार पर खण्डित किये जाने योग्य है तथा उपरोक्त निर्धारण बिन्दु संख्या 1 व 2 में दिये गये निष्कर्षों के आधार पर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

तदनुसार अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय/आदेश दिनांक 27.10.2017 निरस्त करते हुये अपीलार्थीगण/वादीगण के पक्ष में एवं प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

सिविल अपील संख्या–161/2017 सुन्दरलाल आदि बनाम अहमद अली अब्बासी आदि स्वीकार की जाती है तथा मूलवाद संख्या 626/2002 सुन्दरलाल आदि बनाम अहमद अली अब्बासी आदि में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांकित 27.10.2017 तथा तैयार डिक्री दिनांकित 09.11.2017 को अपास्त किया जाता है तथा मूलवाद संख्या 626/2002 सुन्दरलाल आदि बनाम अहमद अली अब्बासी आदि सव्यय डिक्री किया जाता है।

स्थायी निषेधाज्ञा अपीलार्थीगण/वादीगण के पक्ष में एवं प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के पक्ष में इस आशय की जारी की जाती है कि प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण प्रश्नगत सम्पत्ति, स्थित ग्राम राजपुर बांगर तहसील व जिला मथुरा खसरा नं० 564 रकवा 20 डि० जिसकी सीमायें पूर्व खेत तोती प्रतिवादी तरतीवी सं० 3, पश्चिम रास्ता, उत्तर भूमि वादीगण व दक्षिण आराजी से दर्शित किया गया है, में अपीलार्थीगण/वादीगण को सम्पत्ति में किसी प्रकार की तोड़फोड़ करके याकि वादीगण /अपीलार्थीगण को जबरदस्ती बेदखल करके वादीगण/अपीलार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में किसी प्रकार की हस्तक्षेप स्वयं याकि अपने नुमाइन्दों के माध्यम से न करें।

निर्णय की एक प्रति मल तलवीदा मूलवाद की पत्रावली के साथ अविलम्ब विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक–10.04.2026

(श्रीमती नीलम ढाका)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–06, मथुरा।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–10.04.2026

(श्रीमती नीलम ढाका)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–06, मथुरा।
Id No. UP 2653